

कार्यालय:

राष्ट्रीय अधिविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश राजधानी

संख्या:- अधिविधिक/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

सम्बद्धता दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय जग:-

अधिविधिक भारतीय तन्वीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कांग्रेसी कान्ग्रिसन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैलिक सत्र 2021-22 हेतु विपरीत राष्ट्रीय अधिविधिक शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त अधिविधिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुकूल में विद्यमान संस्था को अधिविधिक शिक्षा परिषद, 30 पर सम्बद्धता द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विस्तारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1041-F S INSTITUTE OF PHARMACY NH-2,AGRA ROAD,USSAINFIROZABAD,NAGAU,FIROZABAD-283203			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश अधिविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा अधिविधिक शिक्षा परिषद विनियमनाली 1992, सेमेस्टर विनियमनाली-2016 तथा अन्य विनियम विचार एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों हेतु 80 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के नवीनी पाठ्यक्रम हेतु 80- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों के नवीनी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु 80-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही वार्षिक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले कन्सल्टेशन प्रस्तावों होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनीकरण दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (3000) अधिविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमनाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक रू जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्धारित छात्र/छात्राओं के अनुसार निर्देशान एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/विचार/अधिविधिक/साम्लादेश/निर्देश एवं निर्देशक, अधिविधिक शिक्षा, 3000, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, 3000 तथा अधिविधिक शिक्षा परिषद, 3000 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, निर्देशों, निर्देशों का

E.S. Institute of Pharmacy
N.H.-2, Agr Road, Ussain
Firozabad

बालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ हिन्दोबा इन पार्टीकी सदस्यता की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बंध लागू किया जाता है तथा बाबर बाद के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को लागू होगी।
- ✓ हिन्दोबा इन पार्टीकी सदस्यता संगठित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु कम्प्यूटराइज्ड प्रारंभ होने के पूर्व पी.सी.आई.डी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कम्प्यूटराइज्ड के माध्यम से प्रथमा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने बैंकबुक पर संस्था की समस्त सूचनाओं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रति भूमि, भूदाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला बुल्ड, छात्रावास बुल्ड आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को विभाग-प्रवेश हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लक्ष्य में संस्था के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघनित सदस्यता को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अमितेव, सुनि-मजल, कर्मीपर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य सदस्यता के संकलन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बन्धित समस्त किन्हे जाने की अनुरोध की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, परीक्षाशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पी.सी.आई.डी/पी.सी.आई.डी/पी.सी.आई.डी/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बन्धित समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बन्धित पार्टी का अनुपालन न किये जाने अथवा पार्टी का उत्तरदायित्व किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनगत कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)


सचिव

पु.सं.०- प्राथमिकपरिषद सम्बन्धित/2021/3538-4600

दिनांक: 09/08/2021

प्राथमिक-

पठनाचार्य/निदेशक, F 5 INSTITUTE OF PHARMACY NH-2, AGRA ROAD, USSAINI, FIROZABAD, NAGAU, FIROZABAD-283203


F.5. Institute of Pharmacy
NH-2, Agra Road, Ussaini
Firozabad



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय,

प्रविष्ट, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

अंतर प्रदेश सम्बन्ध)

संख्या- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संयोजक- दिनांक 30/08/2022

:-संबंधित तथ्य:-


प्रविष्ट भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फ़ॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु दिल्ली/राजीव गांधी तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, अंतर प्रदेश सम्बन्ध में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश संख्या वृद्धि सहित अन्य जटी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुपाल में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, अंतर प्रदेश द्वारा सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जा रहा है:-

संस्था का ब्रीफ़ एवं नाम : 1041-F B INSTITUTE OF PHARMACY			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	संस्था/प्राचार्य/प्रमुख द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0पी0टी0आई0पी0आई0ए0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था अंतर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद-एफ़ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, इंजीनियरिंग विनियमावली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत कानून/देशी का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैयार करीब ई0पी0 पाठ्यक्रम हेतु ए0 30100.00/- प्रतिवर्ष, टी0 वर्षीय परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु ए0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय परीक्षा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ए0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क की दर/वर्ष/छात्र से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं को शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सूचनाएं प्रदान की जाने वाले कानून/देशी प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्रवाई किया जाता जायेगा होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की नवीनताएं दी जायेंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत कानून/देशी के अनुपालन/निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान अंतर प्रदेश कानून द्वारा निर्गत विनियमों/अविनियमों/कानून/देशी/निर्देशों एवं विनियम, प्राविधिक शिक्षा, 2000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, अंतर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, अदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।


PRINCIPAL
F.S. Institute of Pharmacy
N.H.-2, Agr. Road, Meerut

कार्यालय

प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश (सखनऊ)

संख्या- प्राविधिकपरिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

सखनऊ- दिनांक: 12-09-2023

:-कार्यालय ताल:-

प्रतिष्ठान भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं भारतीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु प्रतिष्ठान भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं भारतीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम एवं नाम : 1041-F S INSTITUTE OF PHARMACY			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	संस्था/परीक्षार्थी/परीक्षा विभाग द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3006/9/2022 टीओसी-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संबंधित समस्त संस्थाओं की ओर से किए गए राष्ट्रीय न्यायालय में अंकित वि० प्राविधिक संख्या 5027/2023 में राष्ट्रीय न्यायालय के प्रतिष्ठान निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था प्रतिष्ठान भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/भारतीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा निर्णयित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ प्रतिष्ठान भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/भारतीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली के आदेश के अनुसार संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, मकान, जल उपकरण) उपदि उपचार्य हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1982, विनियमकारी-2000, संशोधित विनियमकारी-2016 तथा संशोधित-संशोधित या निर्मित कानून/शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में संशोधित-संशोधित या कानून द्वारा निर्णयित किए जाने वाले कानून/शर्तें कसौटी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाय है, तो प्रवेश की आवश्यकता इसे लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करती की ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समस्त-समय पर निर्णय कानून/शर्तों के अनुसूता निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्णय विधिनिष्पक्ष/अधिनिष्पक्ष/कानून/शर्तों/निर्देशों एवं निर्दिष्ट, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, संयुक्त प्रदेश प्रवेश परिषद, उ० प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा कसौटी एवं निर्णय, विनियमों, आदेशों/निर्देशों का पालन करने के लिये बंधितगी है।

PRINCIPAL
F. S. Institute of Pharmacy
M.H.-2, Agr Road, Ussain
T. 2023

